"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 सितम्बर 2010—भाद्र 19, शक 1932

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री सरजियस मिंज, भा.प्र.से. (1978), अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं विकास आयुक्त तथा महानिदेशक, राज्य प्रशासन अकादमी को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग एवं आयुक्त, उद्योग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री पी. रमेश कुमार, भा.प्र.से. (डब्ल्यू.बी. 86) आयुक्त, उद्योग एवं पदेन सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, ग्रामोद्योग के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ. ग. हस्तशिल्प बोर्ड, संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

श्री पी. रमेश कुमार द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री नारायण सिंह भा.प्र.से. (1977) सचिव, ग्रामोद्योग एवं तकनीकी शिक्षा,

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

जनशक्ति विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड एवं सचिव, वन विभाग केवल सचिव, ग्रामोद्योग एवं संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड के प्रभार से मुक्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्रमांक ई-1-34/2004/एक/2.—श्री एस. पी. त्रिवेदी, भा.प्र.से. (1983) को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति हेतु, पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 1983 बैच के भा.प्र.से. अधिकारियों के साथ दिनांक 19-5-2000 को संपन्न छानबीन समिति की बैठक में विचार किया गया. तत्समय श्री त्रिवेदी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने के कारण समिति द्वारा अपनी अनुशंसा बंद लिफाफे में रखी गई थी.

2. छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन (नवम्बर, 2000) पश्चात्, दिनांक 1-1-2002 की स्थिति में, वर्ष 1986 बैच के भा.प्र.से. अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति हेतु दिनांक 29-12-2001 को छानबीन समिति की बैठक सम्पन्न हुई. उक्त बैठक में भी श्री त्रिवेदी के नाम पर विचार किया गया किन्तु आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने के कारण समिति द्वारा अपनी अनुशंसा बंद लिफाफे में रखी गई.

3. श्री त्रिवेदी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 30-4-2004 को सेवानिवृत्त हुये हैं. श्री त्रिवेदी को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति से संबंधित मुहरबंद लिफाफों की समीक्षा हेतु छानबीन समिति की बैठक दिनांक 25-2-2010 को सम्पन्न हुई, जिसमें श्री त्रिवेदी के मुहरबंद लिफाफे को खोलने का निर्णय लिया जाकर मुहरबंद लिफाफे को खोला गया तथा छानबीन समिति की बैठक दिनांक 19-5-2000 के अनुशंसा अनुसार दिनांक 19-5-2000 की स्थिति में श्री त्रिवेदी को पदोन्नति के लिये अयोग्य (Unfit) पाया गया. दिनांक 1-1-2002 की स्थिति में 1986 बैच के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति हेतु, दिनांक 29-12-2001 को सम्पन्न बैठक में छानबीन समिति द्वारा श्री त्रिवेदी के पदोन्नति के संबंध में अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखी गई थी. उक्त मुहरबंद लिफाफे को खोला गया तथा दिनांक 1-1-2002 की स्थिति में श्री त्रिवेदी को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के लिये योग (Fit) पाया है.

4. अत: राज्य शासन भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पदोन्नति से संबंधित दिशा-निर्देश, दिनांक 28-3-2000 के परिशिष्ट-II के पद-18 में निहित प्रावधान के तहत श्री एस. पी. त्रिवेदी, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. (1983) को अधिसमय वेतनमान (रु. 18400-500-22400) का लाभ वर्ष 1986 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदोन्नति आदेश जारी होने के दिनांक से अर्थात् 1-1-2002 से प्रदान करता है.

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्रमांक ई-1-6/2003/एक/2.—राज्य शासन भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पदोन्नति से संबंधित दिशा-निर्देश, दिनांक 28-3-2000 के परिशिष्ट-II के पद-18.2 में निहित प्रावधान के तहत श्री नारायण सिंह, भा.प्र.से. (1977) को प्रमुख वेतनमान HAG: 67000-(ANNUAL INCREMENT @ 3%)-79000 में पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, वन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. प्रमुख सचिव वेतनमान का लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

2. भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्रमांक 11030/22/2007-एआईएस-11, दिनांक 3-7-2009 द्वारा वर्ष 2010 के लिये प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नति हेतु 02 रिक्तियों का निर्धारण किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय. उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 6-4/2010/1/6.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, केन्द्रीय 13वें वित्त आयोग (2010-2015) के प्रतिवेदन के अध्याय 12 के बिन्दु क्रमांक 12.94 में "जिला नवाचार निधि" योजना के क्रियान्वयन के लिये जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को सक्षम प्राधिकारी घोषित करता है.

No. F 6-4/2010/1-6.—The State Government hereby declares District Callectors as Competent Authority for the implementation of "District Innovation Fund" scheme in point No. 12.94 of Chapter 12 of report of 13th Central Financial Commission (2010-2015) at district level.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 2-17/2010/1-8.—श्री आर. के. सिंह, प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड, रायपुर की सेवायें उनके पैतृक विभाग से लेते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 2-19/2008/1-8.—श्री सी. पी. साहू, अनुभाग अधिकारी, राजभवन सचिवालय को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अवर सचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 15600-39100/-+ ग्रेड वेतन रुपये 6600/- में पदोन्नत करते हुए अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) में पदस्थ किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

3. राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ आवंटित अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के कारण पद उपलब्ध न होने पर अंतिम पदोन्नत कनिष्ठ व्यक्ति पदावनत होंगे.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्रमांक 966/722/2010/1-8/स्थां.—श्री अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 20-7-2010 से 2-8-2010 तक 14 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रंमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्रमांक 968/723/2010/1-8/स्था.—श्री एन. डी. भोयर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 18-6-2010 से 31-7-2010 तक 44 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. डी. भोयर को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. डी.भोयर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्रमांक 970/730/2010/1-8/स्था.—श्री एस. सी. श्रीमाल, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग को दिनांक 31-7-2010 से 13-8-2010 तक 14 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. सी. श्रीमाल को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. सी. श्रीमाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2010

क्रमांक 972/728/2010/1-8/स्था.—श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग को दिनांक 23-8-2010 से 4-9-2010 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्रमांक-एफ 3-70/2010/नजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्र.	थाना/चौकी का नाम जिसमें शामिल किया जाना है	उस पुलिस थाने का नाम, तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	थाना-कुनकुरी	चौकी-दोकडा थाना कांसाबेल तह.-कुनकुरी	टांगरबहरी तह. कुनकुरी	04

(1)	(2)	(3)	(4)	
			क़ोरबाबहरी तह. कुनकुरी	04
			हर्राडांड तह.-कुनकुरी	04
			कोरंगा तह.-बगीचा	45
			पाकरटोली तह.-बगीचा	45
2.	थाना-विश्रामपुर चौकी-करंजी	थाना-जयनगर चौकी-करंजी	चौकी-करंजी के समस्त ग्राम	-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षेत्रसिंह, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्रमांक/एफ 7-06/32/2010.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 25-3-2010 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में लोक प्रयोजनार्थ (बेसिक सर्विसेस फार अरबन पूअर योजना अंतर्गत नगर पालिक निगम, रायपुर को भवन निर्माण हेतु) निम्नानुसार भूमि के उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित (2021) के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (वर्ग फुट में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 'क' के तहत् उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गोगांव (रायपुर)	107/1	0.202 में से 0.200 हे. लगभग	औद्योगिक	आवासीय
		114	0.688 में से 0.280 हे. लगभग	औद्योगिक	आवासीय
		106/514	0.437 में से 0.261 हे. लगभग	औद्योगिक	आवासीय

2. सूचना में उल्लेखित, समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

3. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्रमांक-एफ 7-29/2010/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अंबागढ़ चौकी, निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

अंबागढ़ चौकी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम केकतीटोला, ग्राम मालडोंगरी, ग्राम मेरेगांव तथा ग्राम केसला की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम केसला, ग्राम सिर्राभाटा, ग्राम बोईरडीह तथा ग्राम अंबागढ़ चौकी की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम अँबागढ़ चौकी, ग्राम कान्हे तथा ग्राम हाथीकन्हार की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम हाथीकन्हार तथा ग्राम केकतीटोला की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 10-23/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (1960 का क्रमांक 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "श्री आलोक अवस्थी" को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए "श्रम आयुक्त" नियुक्त करता है.

No. F 10-23/2010/16.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960). The State Government in supersession of all previous notification issued in this regard, appoints "Shri Alok Awasthi" as the "Labour Commissioner" for the State of Chhattisgarh.

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 10-23/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "श्री आलोक अवस्थी" श्रम आयुक्त को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए "मुख्य संराधक" नियुक्त करता है.

No. F 10-23/2010/16.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 4 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 and in supersession of all previous notification issued on the subject, State Government hereby appoints "Shri Alok Awasthi" Labour Commissioner to be "Chief Conciliator" for the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्रमांक 09/अ-82/2009-10/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	नगोई	11.586	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2, बिलासपुर.	कोनी-मोपका बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्रमांक 10/अ-82/2009-10/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	सेन्दरी	4.004	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2, बिलासपुर.	कोनी-मोपका बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्रमांक 11/अ-82/2009-10/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	रमतला	9.441	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2, बिलासपुर.	कोनी-मोपका बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्रमांक 12/अ-82/2009-10/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	बिरकोना	11.053	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2, बिलासपुर.	कोनी-मोपका बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्रमांक 13/अ-82/2009-10/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	बिजौर	5.484	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2, बिलासपुर.	कोनी-मोपका बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्रमांक/480/क/भू-अर्जन/2010/07 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दीं गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	अमलीडीह	1.07	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, रायपुर.	पैरी नदी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कुरूद, मुख्यालय कुरूद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्रमांक/481/क/भू-अर्जन/2010/06 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	भोथा	2.45	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, रायपुर.	महानदी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कुरूद, मुख्यालय कुरूद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी. कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/10/रा.प्र.क्र. 11/ए-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बलौदाबाजार	पनगांव प. ह. नं. 17	2/2	0.049	सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, बलौदाबाजार.	नवीन मंडी प्रांगण हेतु
			2/3	0.012		
			15/1	0.081		
			3/2	0.032		
			4/1 (क)	0.328		
			13	0.121		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			4/1 (ख)	0.328		
			4/2	0.656		
			8/2, 9/3, 49/2	0.093		
			39/2, 46/2	0.020		
			5	0.239		
			6	0.134		
			7	0.016		
			10	0.093		
			11	0.081		
			12	0.048		
			40	0.040		
			14	0.142		
			15/2	0.081		
			15/3	0.081		
			15/4	0.081		
			36	0.032		
			37	0.080		
			38	0.049		
			39/1, 46/1	0.109		
			47	0.093		
		योग	23	3.119		

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र. 12 अ/82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	गुडाघाट प. ह. नं. 23	99/1	0.126	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर छ. ग.	मोतिमपुर एनीकट के पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु.
			99/2	0.053		
			98/1	0.109		
			98/2	0.036		
			100	0.138		
		योग	5	0.462		

रायपुर, दिनांक 30 जून 2010

क्रमांक/क/वा.भू.आ./अ.वि.अ./10.—भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/वर्ष 1991-92, ग्राम सिलतरा, प. ह. नं. 90 तहसील व जिला रायपुर के संबंध में चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना क्रमांक 1 से 6 तक की भूमि जिसका अवार्ड दिनांक 29-03-1994 द्वारा किया गया है को जनहित में भू-अर्जन से प्रत्याहृत किया जाना युक्तियुक्त है.

अत: भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये संलग्न अनुसूची में खाना क्रमांक 1 से खाना क्रमांक 6 तक की वर्णित भूमि को भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/वर्ष 1991-92 दिनांक 23-03-1994 में पारित अवार्ड से प्रत्याहरण किया जाता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम/नगर प.ह.नं.		खसरा नं.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
रायपुर	रायपुर	सिलतरा, 90		506/1	1.295
			योग	01	1.295

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 23 अगस्त 2010

क्रमांक/1653/प्र-1/भू-अर्जन/अविअ/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-सिब्दी, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	753	0.06
	32	0.22
योग	2	0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्रमांक/क/1399/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-बोईदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1/5	0.20
	1/8	0.20
योग	2	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- फुटामुड़ा जलाशय बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/03/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-सोनारपाल, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	190/34	0.08
	53/20 क	0.12
	53/20 ख	0.13
योग	3	0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत सोनारपाल-देवड़ा माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/04/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-बस्तर

(ग) नगर/ग्राम-केशरपाल, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.537 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	36	0.051
	94	0.174
	100	0.114
	101	0.198
योग	4	0.537

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत केशरपाल माइनर नहर क्रमांक 02 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/05/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-बस्तर

(ग) नगर/ग्राम-केशरपाल, प. ह. नं. 60

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.899 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	50	0.036
	67	0.066
	68	0.198
	69	0.132
	70	0.222
	71/4	0.135
	71/5	0.020
	71/7	0.090
योग	8	0.899

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत केशरपाल माइनर नहर क्रमांक 3 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 जुलाई 2010

प्रकरण क्र. 20/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-सकरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
44/3	0.07
योग 1	0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सकरी से पेण्ड्रीडीह बाईपास मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 7 अगस्त 2010

क्रमांक/11/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर छ. ग.
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तखतपुर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.77 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
54	0.14
55/2	0.30
56	0.16
65	0.42
64	0.02
75/1	0.02
75/2	0.03
76	0.12
66	0.32
74	0.03
77	0.21
योग	1.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तखतपुर कुरानकापा मार्ग पर मनियारी नदी पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2010

प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तिफरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.193 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
968	0.220
967	0.129
965	0.129
964	0.125
961	0.125
962	0.095
959	0.055

(1)	(2)	(1)	(2)
960/1, 2, 4	0.185	785	0.180
960/3	0.085	786/1	0.015
948	0.125	786/2	0.008
950/1	0.202	786/3	0.008
950	0.275	786/4	0.004
949	0.230	786/5	0.020
947	0.020	786/6	0.020
946	0.225	786/7	0.004
945/2	0.061	786/8	0.004
945/3	0.885	786/9	0.004
945/4	0.125	786/10	0.004
945/5	0.095	786/11	0.004
945/6	0.035	786/12	0.045
945/7	0.412	786/13	0.008
944	0.175	733	0.140
918	0.245	734	0.010
943	0.155	735/1	0.214
917	0.215	735/2	0.214
868/2	0.086	736/1	0.014
869	0.565	736/2	0.017
870	0.175	736/3	0.024
849/1	0.012	736/4	0.020
849/2	0.018	736/5	0.006
849/3	0.005	736/6	0.015
849/4	0.005	736/7	0.014
849/5, 6	0.010	736/8	0.006
849/7	0.050	736/9	0.012
849/8	0.060	736/10	0.007
849/9	0.060	736/11	0.008
847/2	0.016	736/12	0.006
846	0.036	736/13	0.008
845	0.018	736/14	0.006
844/1	0.113	736/15	0.008
844/2	0.113	736/16	0.020
840	0.430	736/17	0.006
837	0.356	736/18	0.014
836	0.165	736/19	0.008
838	0.018	737/1	0.069
839	0.350	737/2	0.101
828	0.050	738/1, 3	0.320
824	0.022	739/1, 2	0.025
826	0.090	740	0.048
854	0.330	741/1	0.030
827/1, 2	0.455	741/2, 3	0.030
816	0.006	742/1	0.050
		742/2	0.065

(1)	(2)
742/3	0.030
742/4	0.020
योग	10.193

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलासपुर-उस्लापुर फ्लाई ओवर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2010

प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिरगिट्टी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.599 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
82/1	0.028
83/1	0.081
118/1	0.275
117/2	0.008
117/3	0.008
116/1	0.008
116/2	0.008
115	0.008
114/1	0.405
114/2	0.283
112	0.368
113	0.283
109	0.425
110/13	0.615
110/10	0.125
110/9	0.155
110/8	0.185
110/7	0.245
110/3	0.045
153/1, 2	0.170
174/1	0.008
174/2	0.008
174/3	0.008
154/3	0.027
173	0.121
172	0.150
185	0.254
171	0.215
186/3	0.664
186/2, 1, 4	0.165
188/2	0.162
601	0.603
602/2	0.216
189/4	0.160
189/59	0.026
189/73	0.020
189/66	0.026
194	0.405
191	0.264
192/1	0.008
601/3	0.009
600/1	0.055
602/1	0.265
606	0.032
607	0.004
610/1	0.004
योग	7.599

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर-उस्लापुर फ्लाई ओवर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2010/6/ए-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बलौदाबाजार

(ग) नगर/ग्राम-देवरी, प. ह. नं. 02

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.736 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
918/6	0.384
942	0.037
944/2	0.202
949	0.012
974/2-1045/2	0.142
976/2	0.016
980	0.041
981	0.267
983/1	0.142
987/2	0.012
988-989	0.275
990/1	0.009
992	0.004
999/2	0.004
1001/2	0.033
1013/1	0.012
1015/4	0.021
1016/1-1017/1	0.009
1040	0.097
1041	0.138
1043	0.017
1056/1	0.136
1057/2	0.057
1058	0.324
1059/1	0.409
1068/2	0.162
1069	0.181
1070	0.121
1094	0.012
1098/1	0.142
1098/2	0.121
1099	0.081
1100	0.009
1101/2	0.101
1101/3	0.101
1102/2	0.121
1103	0.105
1107/1, 1107/2	0.162
1197/1	0.121
1198/3	0.113
1198/4	0.121
1206	0.033
1717/2	0.291
1720	0.243
1721/2	0.243
1228/2	0.089
1233	0.057
1235/1	0.122
1237	0.085
1286/1	0.065
1789/2	0.405
1792	0.243
1793/1	0.139
1793/2	0.017
1794	0.138
1810/5	0.108
1810/11	0.162
1813/4	0.009
1813/5	0.113
1821/3	0.223
1827/1	0.312
1827/2	0.057
1831/2	0.049
1832	0.243
1833/4	0.178
1839/1	0.323
1842/6	0.182
1842/8	0.142

(1)	(2)
1847/2	0.244
1846/5	0.405
1849/1-1850/1	0.121
1849/2-1850/2	0.121
योग 73	9.736

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2010/7/ए-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-ढाबाडीह, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-20.042 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
156/2	0.024
156/4 क, 156/5 क, 156/6, 157/1	0.122
156/9	0.222
159/6	0.281
214/1	0.405
214/2	0.405
214/3	0.592
215/1	0.145
215/2	0.373
423/1 च	0.405
423/1 ज	1.011
423/1 झ	0.685
224	2.039
225/8	0.235
225/9	0.502
230/2	0.202
230/3-233/2	0.223
231/1	0.190
231/2	0.506
232/2	0.121
412/3-413/3	0.235
441/7	0.708
464/1	0.073
481	0.158
482/2	0.121
498/4-498/8	2.023
397-401/2	0.304
399/5	0.235
400/1	0.081
400/2	0.169
411/2	0.510
411/3	0.231
414/2	0.219
416/3	0.648
416/4	0.607
416/5	0.081
417	0.029
418	0.101
419/1	0.154
419/2	0.207
419/3	0.012
422	0.085
423/1 छ-424/2	0.607
441/5	0.809
463/4	0.009
465	0.234
469	0.077
470	0.146
478/4	0.089
479/2	0.061
498/7	0.101
500/2	0.405
502	0.138
503	0.093

	(1)	(2)
	505/2	0.182
	524/1	0.101
	529/16	0.073
	529/19	0.769
	529/32	0.129
	529/33	0.202
	539/471	0.077
	416/540/1	0.016
	416/540/2	0.017
	416/540/3	0.028
योग	64	20.042

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2010/8/ए-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-रसेड़ा, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.243 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	16/1	0.299
	27/2	0.144
	16/2	0.025
	76/17	0.077
	76/18	0.182
	76/39	0.312
	76/40	0.105
	76/41	0.069
	76/42	0.089
	76/44	0.154
	76/45	0.053
	76/47	0.174
	76/49	0.227
	76/50	0.117
	76/51	0.077
	76/52	0.239
	76/53	0.125
	29	0.134
	92	0.178
	76/61	0.077
	76/62	0.077
	76/76	0.121
	76/64	0.102
	76/65	0.081
	76/66	0.041
	76/67	0.049
	76/68	0.138
	76/83	0.183
	86/1	0.223
	86/5	0.122
	96	0.162
	99/1	0.145
	99/3	0.098
	76/46	0.109
	76/48	0.060
	27/9	0.049
	27/3	0.081
	27/7	0.041
	27-28/8	0.109
	76/7	0.105
	76/28	0.068
	148/5	0.101
	103/4	0.121
योग	43	5.243

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2010/9/ए-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-सलौनी, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.296 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	57/2	0.009
	58	0.150
	59	0.130
	60	0.120
	92/1	0.081
	92/2	0.263
	104	0.050
	106	0.252
	120	0.150
	122/1	0.041
	161	0.050
योग	11	1.296

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन/3-अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-लेवई, प. ह. नं. 4/29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.781 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
485/1	0.259
486/1	0.028
486/10	0.186
497/1	0.304
497/2	0.291
513/12	0.004
517	0.121
498/1	0.235
524	0.109
499/1	0.020
499/2	0.312
499/4	0.089
499/5	0.032
500/1	0.162
518/1	0.134
518/2	0.097
520/1, 521/1	0.192
521/6	0.131
519/1, 521/1	0.202
521/3 ग	0.109
521/3 घ	0.119
522/1, 2, 3	0.024
991/2	0.231
523/1	0.324
1010	0.020

	(1)	(2)
	1014	0.364
	523/2	0.020
	539 ध	0.036
	991/1	0.146
	1018/2	0.016
	991/5, 8	0.178
	1015	0.069
	1016	0.255
	1017	0.053
	1018/1	0.304
	1021	0.425
	1022	0.004
	1023	0.081
	1049/1	0.085
	1049/26	0.101
	1049/8	0.040
	1049/9	0.093
	1949/12	0.138
	1049/11	0.133
	1050/1	0.182
	1050/2	0.020
	1051/1	0.202
	1051/2	0.012
	1080/1	0.242
	1080/6, 7	0.020
	1080/15	0.162
	1080/8	0.129
	1080/17	0.028
	1080/18	0.020
	1080/16	0.327
	1080/14	0.161
योग	58	7.781

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कोनी उपनहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-तेलीपाली, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.176 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
242	0.148
244	0.036
348	0.102
359	0.076
388	0.006
247/1	0.080
400	0.021
330	0.030
331	0.045
332	0.077
372	0.105
389	0.058
349/1	0.032
349/2	0.077
352/7	0.019
386/1	0.026
352/1	0.017
353/1	0.020
391/1	0.004
395/1	0.038

(1)	(2)
352/2	0.019
353/2	0.019
353/3	0.019
395/2	0.038
356/5	0.045
364/18	0.042
357/2	0.068
374/3	0.060
374/4	0.083
375	0.130
349/3	0.014
396	0.034
404	0.021
401/1	0.021
245/2	0.144
403	0.046
405	0.038
406/1	0.050
345/1	0.144
364/2	0.026
364/3	0.030
390/1	0.018
364/6	0.030
371	0.020
योग 44	2.176

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो मुख्य नहर से तेलीपाली माइनर नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-केनसरा, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.189 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
127/1	0.133
15/1	0.324
140/1 ख	0.006
199/2	0.024
200/1	0.053
121/1	0.020
139/1	0.109
127/2	0.010
126/4	0.004
328/1 क	0.063
128/2	0.053
430/6	0.058
121/3	0.040
139/3	0.040
197/1	0.060
197/2	0.050
225/6	0.096
197/3	0.088
198/1	0.130
200/2	0.115
206	0.018
216/2	0.132
213/1	0.040
213/2	0.063
215/1	0.036
215/2	0.094
217/3	0.005
312/2	0.010
404/2 ख	0.076
225/7	0.030
227	0.180
399	0.076
228/1	0.015
252/1	0.092
228/2	0.072

(1)	(2)
229	0.010
249/1	0.135
250	0.030
251	0.018
429/2	0.084
252/1	0.092
252/2	0.108
460/1	0.032
313/3	0.139
314/1	0.101
328/1 ख	0.210
328/1 ग	0.040
330/1	0.168
328/2	0.076
457/3	0.025
330/7	0.109
403/1	0.057
403/3	0.045
403/4	0.042
403/2	0.096
404/1 क	0.022
404/1 ख	0.004
404/2 क	0.108
404/1 ग	0.010
405/2	0.027
405/3	0.020
427/1	0.029
428/1	0.004
429/2	0.092
430/5	0.055
443/1	0.078
443/2	0.025
444/2	0.094
445	0.004
446	0.100
460/4	0.134
457/4	0.012
457/6	0.052
457/5	0.012
457/7	0.067
461/2	0.034
461/3 ख	0.048
454	0.004
453	0.106
461/4	0.016
योग 80	5.189

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो मुख्य नहर से केनसरा माइनर-1 नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-लिंजीर, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.912 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
84	0.008
85	0.164
90	0.073
91	0.143
93	0.097
94	0.069
99/1	0.004
198	0.036
200/6	0.012
201/2	0.057
205/1	0.020
238/1	0.061

(1)	(2)
239/1	0.070
99/2	0.010
99/4	0.059
99/10	0.063
99/5	0.014
240	0.077
241/1	0.049
246/2	0.142
278/1	0.043
288/1	0.214
288/2	0.024
279	0.085
99/3	0.046
99/14	0.067
239/2	0.205
योग 27	1.912

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो मुख्य नहर से लिंजीर माइनर नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-लिंजीर, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.511 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
669	0.069
670	0.057
671	0.069
672	0.040
674	0.077
685/3	0.121
687	0.153
688	0.024
689/1	0.186
691/2	0.133
692	0.057
698	0.323
703/1	0.012
704	0.008
705/1	0.073
714/1	0.109
योग 16	1.511

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो मुख्य नहर से केनसरा माइनर-1 नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-तेतला, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.216 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	183	0.029
	184/2	0.149
	185/2	0.254
	186/5	0.130
	187/1	0.075
	187/2	0.152
	188/1	0.039
	189/2 ग	0.115
	188/3	0.233
	188/4	0.012
	188/5	0.028
योग	11	1.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो मुख्य नहर से छींच माइनर नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायगढ़
   (ख) तहसील-पुसौर
   (ग) नगर/ग्राम-जामपाली, प. ह. नं. 36
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.558 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	74/1 च	0.038
	74/1 छ	0.021
	74/1 ज	0.088
	74/1 ञ/1	0.084
	74/1 ञ/2	0.090
	74/1 थ	0.069
	74/1 द	0.110
	74/1 ध	0.006
	74/1 ढ	0.052
योग	09	0.558

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो मुख्य नहर से छींच माइनर नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायगढ़
   (ख) तहसील-पुसौर
   (ग) नगर/ग्राम-केनसरा, प. ह. नं. 29
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.062 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
711/1	0.120
733/3	0.067
930	0.082
947/3 ग	0.008
711/3	0.010
713	0.037

(1)	(2)
714	0.070
712	0.028
942/1	0.045
943/1	0.067
931/1	0.010
931/3	0.014
896/2	0.043
897	0.026
898	0.300
906	0.004
913/2	0.106
942/2	0.012
943/2	0.016
907/1	0.074
907/2	0.110
931/2	0.180
931/4	0.004
938/1 ख	0.094
936/2	0.080
937/1	0.006
938/1 क	0.060
941/1	0.084
912	0.012
915/1	0.115
914/2	0.130
945/1	0.048
योग 32	2.062

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो मुख्य नहर से केनसरा माइनर-2 नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-कवरिहा, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.999 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
196	0.356
210	0.081
342	0.004
265	0.117
197	0.222
212	0.153
207	0.206
211/1	0.008
211/2	0.004
264/1	0.053
264/3	0.121
213/1	0.051
252/3	0.069
213/2	0.086
352/4	0.020
260/1	0.081
260/2	0.008
260/3	0.069
261	0.125
360/1	0.336
266	0.178
353/5	0.043
388/1	0.014
263/2	0.020
263/3	0.025
388/2	0.087
353/4	0.048
353/6	0.082
268/2	0.020
333	0.008
373/2	0.117
339/4	0.016
371	0.117
339/5	0.117
339/3	0.016
356/2	0.069

(1)	(2)
361	0.210
366	0.089
377/1	0.016
339/1	0.093
367	0.109
368	0.077
370/3	0.101
370/4	0.065
379/1	0.016
379/3	0.089
370/5	0.073
379/2	0.069
372	0.113
378	0.085
380/6	0.162
389	0.202
390	0.085
391/1	0.020
340/1	0.076
393/1	0.004
340/3	0.043
340/2	0.055
योग 58	4.999

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो मुख्य नहर से तेलीपाली माइनर नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्रमांक 1243/न.ग्रा.नि./खैरागढ़ वि.यो./2010.—राजनांदगांव, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि खैरागढ़ निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया हैं और उसकी एक-एक प्रति तहसील कार्यालय खैरागढ़ प्रदर्शनी स्थल, कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् खैरागढ़ एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव में दिनांक 7-9-2010 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है. खैरागढ़ निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

खैरागढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में - ग्राम मारूटोला कला, पिपरिया, कांचरी, दिलीपपूर एवं ढोलियाकन्हार ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में - ग्राम ढोलियाकन्हार, गाडाडीह, मूतेडा, कमलानारायणपूरा, धनेली एवं देवारीभाठ ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में - ग्राम देवारीभाठ, भरदाकला, पेण्ड्रीकला, दपका, अमलीडीह, झोराझोरी एवं दल्लीटोला ग्रामों की दक्षिण सीमा तक.

पश्चिम में - ग्राम दल्लीटोला, अकरजन, हीरावाही, कोहकाबोड एवं मारूटोलाकला ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्रों के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जायेगा.

No. 1243/T & CP/Khairagarh/D.P./2010.—Rajnandgaon Notice is hereby given that of existing land use map for Khairagarh Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from 07-09-2010 during office hour in the office of the C.M.O. Nagar Palika Khairagarh, Tahasildar Khairagarh and Assistant Director Nagar Tatha Gram Nivesh, Disst. Office Rajnandgaon. The limit of the Khairagarh Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limit of the Khairagarh Planning Area

NORTH - Village Marutolakala, Piparia, Kanchari, Dilippur and Dholiakanhar up to North boundry.

EAST - Village Dholiakanhar, Gadadih, Muteda, Kamalnarayanpura, Dhaneli and Dewaribhat, up to East boundry.

SOUTH - Village Dewaribhat, Bhardakala, Pendrikala, Dapka, Amlidih, Jhorajhori and Dallitola up to South boundry.

WEST - Village Dallitola, Akarjan, Hirawahi, Kohakabod and Marutolakala up to West boundry.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Director, Town & Country Planning Raipur, Chhattisgarh within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette"

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by the Director, Nagar Tatha Gram Nivesh Raipur Chhattisgarh.

बी. के. तिवारी,
सहायक संचालक.

कृषि (पशुपालन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्रमांक 389/निर्वाचन/27.—छ. ग. राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम 2005 भाग-2 नियम-तीन (13) (क) (ख) (ग) के प्रावधानों के अनुसरण में, रिटर्निंग अधिकारी एतद्द्वारा चुनाव में भाग लेने वाले उन अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करते हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के चार सदस्यों के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी हैं :—

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पता
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. अजय कुमार अग्रवाल	बी.-06, कृष्ण कुंज, लूथरा हॉस्पिटल के पीछे, नेहरू नगर, बिलासपुर

(1)	(2)	(3)
2.	डॉ. अनिल कुमार पटेल	ग्राम-खरकेना, पोष्ट-साल्हे, तहसील-डभरा, व्हाया-चन्द्रपुर, जिला जांजगीर
3.	डॉ. ए. पी. वाघे	गोपाल किराना स्टोर्स के पास, राजातालाब, रायपुर
4.	डॉ. भागीरथी खांडे	मुकाम एवं पोष्ट हरदी, तहसील-जांजगीर-चांपा, जिला जांजगीर-चांपा.
5.	डॉ. निधि रावत	सी.-15 नेहरू नगर, जी. ई. रोड, राजनांदगांव
6.	डॉ. प्रकाश कुमार शिंदे	65, सृष्टि गार्डन, एयरटेल ऑफिस के सामने, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर
7.	डॉ. पवन कुमार मरकाम	न्यू एफ-16, जी. ए. डी. कालोनी, कलेक्टर निवास के पीछे, धमतरी जिला धमतरी
8.	डॉ. राधेश्याम मणि त्रिपाठी	जिला पशु चिकित्सालय, श्याम टॉकिज के पास, बिलासपुर
9.	डॉ. राजेश कुमार दास	देव मेडिकल के पास, कसारीडीह, दुर्ग
10.	डॉ. रूपेश कुमार सिंह	पुलिस लाईन के पास, बौरी पारा, अंबिकापुर
11.	डॉ. समीर शर्मा	शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, जगदलपुर
12.	डॉ. शारदा नंद अग्रवाल	गांधी मंदिर वार्ड, पुराना श्याम टाकीज भाटापारा, जिला रायपुर
13.	डॉ. सुबोध कुमार गहरवार	बघवा मंदिर के पास, पुराना सरकंडा, बिलासपुर
14.	डॉ. सुनील कुमार भांडेकर	सड़क नं. 4, पुष्पक नगर, पोष्ट ऑफिस नेहरू नगर, भिलाई
15.	डॉ. तुलाराम वर्मा	कृत्रिम रेतन केन्द्र, धमतरी
16.	डॉ. (श्रीमती) वर्षा शर्मा	शहनाई गार्डन के समीप रोहणीपुरम, रायपुर

डी. के. सियार,
रिटर्निंग आफिसर.

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड

सेक्टर-3, सी/12 देवेन्द्र नगर रायपुर-492001

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्रमांक/वि. शा./737/2010.—आम सूचना के जरिए हलाई मेमन जमात नर्मदापारा गुढ़ियारी रायपुर की वक्फ सम्पत्ति के संबंध में हितग्राही पक्षकारों सहित सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हलाई मेमन जमात कमेटी नर्मदापारा गुढ़ियारी रायपुर द्वारा संस्था ने पूर्व में क्रय की गई सम्पत्ति तैजनाथपारा स्थित खुला प्लाट भूमि म्यु. नं. खसरा नं. 404 से 408/11 रकबा 2200 वर्गफुट को श्री मोहम्मद असलम वल्द स्व. अहमद नयापारा रायपुर से विक्रय हेतु इकरारनामा किया गया है जिसे संस्था विक्रय करना चाहती है. जिसकी प्राप्त आय को वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्ति के उचित विकास एवं जनकल्याण में, वक्फ सम्पत्तियों की आय बढ़ाने लगाया जाएगा जिसके लिये बोर्ड से अनुमति चाही गई है.

अतः इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड सी-12, सेक्टर-3, देवेन्द्र नगर रायपुर को दिनांक 04-10-2010 तक अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 30-08-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

एस. ए. फारूकी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 3 अगस्त 2010

क्रमांक 247/दो-2-10/2005.—श्री तीरथ राम बर्मन, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, कोरिया (बैकुण्ठपुर)/जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) दिनांक 31-01-2008 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ. ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ. ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (Clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 3 अगस्त 2010

क्रमांक 248/दो-2-15/2005.—श्री छोटेलाल सिंह टेकाम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्तर स्थान जगदलपुर दिनांक 31-07-2009 की अपरान्ह में अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ. ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ. ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (Clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 3 अगस्त 2010

क्रमांक 249/दो-2-20/2004—श्री कनक प्रसाद कुर्रे, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, अम्बिकापुर/जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) दिनांक 01-03-2008 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 214 (दो सौ चौदह) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ. ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ. ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (Clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 3 अगस्त 2010

क्रमांक 250/दो-2-35/2004.—श्री सुरेन्द्र तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) दिनांक 31-03-2009 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ. ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ. ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (Clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 4 अगस्त 2010

क्रमांक 251/दो-2-8/2004.—श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा दिनांक 29-05-2009 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 237 (दो सौ सैंतीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ. ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ. ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (Clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 4 अगस्त 2010

क्रमांक 252/दो-2-20/2003.—श्री बुद्धराम निकुंज, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), दुर्ग दिनांक 20-11-2007 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 205 (दो सौ पांच) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ. ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ. ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (Clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 4 अगस्त 2010

क्रमांक 253/दो-2-16/2004.—श्री चन्द्रभूषण सिंह पटेल, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग दिनांक 31-05-2009 की अपरान्ह में अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ. ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ. ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (Clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अगस्त 2010

क्रमांक 254/दो-2-29/2004.—श्री हीरा सिंह मरकाम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर दिनांक 31-05-2009 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 226 (दो सौ छब्बीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ. ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ. ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (Clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

Rapur, the 11th August 2010

No. 396/Confdl./2010/II-2-72/2001 (Pt.II).—The original seniority of Shri Ganpat Rao, member of Higher Judicial Service and presently Special Judge under SC/ST (P. A.) Act, Raipur is hereby, restored by placing his name below the name of Shri Nico Dious Ekka, member of Higher Judicial Service and presently I Additional District & Sessions Judge, Bilaspur and above the name of Shri Arun Kumar Pradhan, member of Higher Judicial Service and presently Special Judge under SC/ST (P. A.) Act, Durg in the gradation list of Judicial Officers in Higher Judicial Service of the State of Chhattisgarh.

बिलासपुर, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्रमांक 263/दो-2-34/2002.—श्री ताराचन्द यदु, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायगढ़ दिनांक 30-09-2009 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ. ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ. ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (Clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्रमांक 266/दो-2-17/2004.—श्री सनमान सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव दिनांक 30-06-2010 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फ़लस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ. ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ. ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (Clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय पोर्टफोलियों न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

बिलासपुर, दिनांक 13 अगस्त 2010

क्रमांक 258/दो-2-4/2006.—श्री आर. सी. एस. सामन्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को उनके आवेदन पत्र दिनांक 27-07-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 13 अगस्त 2010

क्रमांक 259/दो-2-39/2004.—श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 05-06-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-1999 से 31-10-2001 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 13 अगस्त 2010

क्रमांक 260/दो-2-39/2004.—श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 05-06-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती हैं.

बिलासपुर, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्रमांक 264/दो-2-4/2003.—श्री दिनेश कुमार तिवारी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर वर्तमान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 29-07-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्रमांक 265/दो-2-20/2005.—श्री एम. पी. सिंघल, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा) वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव को उनके आवेदन पत्र दिनांक 29-06-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.